[This question paper contains 10 printed pages.]

Your Roll No. .....

3408

B

## LL.B. III Term

Paper LB-302: LIMITATION AND ARBITRATION

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer any Five questions in all, selecting atleast one question from each Part.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक भाग से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

# Part I (भाग I)

1. (a) "Limitation bars the remedy, but does not destroy the right." Discuss and state the exception, if any.

- (b) Explain the true scope of the expression 'time requisite' in Section 12 of the Limitation Act,1963.
- (a) "परिसीमा उपचार का वर्जन करती है किन्तु अधिकार को नष्ट नहीं करती है।" विवेचन कीजिए और अपवाद यदि कोई है, का उल्लेख कीजिए।
- (b) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 में 'अपेक्षित समय' अभिव्यक्ति की सही परिव्याप्ति की व्याख्या कीजिए।
- (a) What is the effect of fraud and mistake on limitation? Support your answer with the help of decided cases.
  - (b) 'A' advanced a loan to 'B' on 1-1-2005. On 15-12-2007 'B' wrote a letter to 'C' wherein he stated that he owed the said sum of ₹ 1,000 to 'A'. 'A' filed a suit on 15-11-2009 and contented that though the suit has been filed three years after the advancing of the loan to 'B', the suit is in time in view of the admission of the liability in B's letter to C. Can 'A' take advantage of the admission of the liability in the said letter to save limitation? Decide with relevant statutory provisions. [Limitation Period—3 Years]

- (a) पिरसीमा पर कपट और त्रुटि का क्या पिरणाम होता है? विनिश्चित केंसों की सहायता से अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए।
- (b) A ने 1-1-2005 को B को ऋण प्रदान किया। 15-12-2007 को B ने C को पत्र लिखा जिसमें उसने उल्लेख किया कि वह ₹ 1,000 की उक्त राशि का A को देनदार है। A ने 15-11-2009 को यह प्रतिवाद करते हुए वाद फाइल किया कि यद्यपि वाद B को ऋण देने के तीन वर्ष बाद फाइल किया गया है पर यह वाद B द्वारा C को लिखे पत्र में दायित्व की स्वीकृति की दृष्टि से समय पर है। क्या A परिसीमा को बचाने के लिए उक्त पत्र में दायित्व की स्वीकृति का लाभ उठा सकता है? सुसंगत कानूनी उपबन्धों सहित विनिश्चय कीजिए।

# [परिसीमा अवधि—3 वर्ष]

- 3. (a) Cause of action accrued to a minor on 3rd May, 1996. He will attain majority on 7th June, 2000. Limitation for filing suit is only three years. Determine the date by which he should file the suit. Support your answer with relevant statutory provisions and case laws.
  - (b) A incurs a debt to a firm of which E, F and G are partners. E and F are insane and G is a minor

when does the period of limitation run against them?

Discuss in light of Sections 6 and 7 of Limitation

Act, 1963.

- (a) किसी अवयस्क को 3 मई, 1996 को वाद हेतुक प्रोद्भूत हुआ। वह 7 जून, 2000 को वयस्कता प्राप्त करेगा। वाद फाइल करने की परिसीमा अविध केवल 3 वर्ष है। उस तारीख का निर्धारण कीजिए जिस तक उसे वाद फाइल करना चाहिए। अपने उत्तर को सुसंगत कानूनी उपबन्धों और निर्णय विधियों से पुष्ट कीजिए।
- (b) A एक फर्म को ऋण उपगत करता है जिसके भागीदार E, F तथा G हैं। E और F विक्षिप्त हैं तथा G अवयस्क है। उनके विरुद्ध परिसीमा अविध कब समाप्त होगी? परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6 तथा 7 को ध्यान में रखते हुए विवेचन कीजिए।
- 4. (a) What are the guiding principles for condonation of delay under Section 5 of the Limitation Act, 1963?
  - (b) A State Government files an application in the High Court for condonation of delay in filing an appeal on the ground that delay was caused in routing the matter through its law department. Can this reason be accepted?

Is the position of government and private individuals same under Section 5? 20

- (a) पिरसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब के लिए माफी देने हेतु दिशा-निर्देशी सिद्धान्त क्या हैं?
- (b) एक राज्य सरकार अपील फाइल करने में इस आधार पर उच्च न्यायालय में विलम्ब के लिए माफी हेतु अर्जी फाइल करती है कि विलम्ब मामले को इसके विधि विभाग से संसाधित कराने के कारण हुआ था। क्या यह तर्क स्वीकार किया जा सकता है?

क्या धारा 5 के अन्तर्गत सरकार व प्राइवेट व्यक्तियों की स्थिति एक जैसी है?

#### Part II

## (भाग II)

- 5. (a) "Success of an arbitration proceeding depends upon the underlying arbitration clause." In the light of this statement, explain what are the ingredients of a good arbitration clause.
  - (b) 'A' and 'B' entered into an Arbitration Agreement in 1994 which provided that each party shall nominate

appoint an Umpire before proceeding with reference. A dispute referable to arbitrators arose between 'A' and 'B' in 1997. By that time Arbitration and Conciliation Act, 1996 has come into force and applied to the dispute between 'A' and 'B'. 'B' rejected the request for arbitration made by 'A' on the ground that since the Arbitration clause provided for even number of arbitrator, it is an invalid clause and can it be given effect to in view of Section 10 of the new act which provides for sole or an odd number of arbitrators?

Elucidate as to whether in such circumstances there exist a valid arbitration clause between 'A' and 'B'. If so, why? Support your contention with reasons and the case law.

(a) "किसी माध्यस्थम कार्यवाही की सफलता उसके मूल में रहने वाले माध्यस्थम खण्ड पर निर्भर करती है।" इस कथन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे माध्यस्थम खण्ड के क्या घटकांग होते हैं, स्पष्ट कीजिए। (b) A तथा B ने 1994 में एक माध्यस्थम करार किया। इसमें उपबन्ध था कि प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ को नामित करेगा और इस प्रकार नामित मध्यस्थ निर्देश पर कार्यवाही करने से पहले एक अम्पायर नियुक्त करेंगे। A तथा B के बीच 1977 में मध्यस्थों को निर्दिष्ट किए जाने योग्य एक विवाद पैदा हुआ था। तब तक माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 प्रभावी हो गया था तथा A व B के बीच विवाद पर लागू किया गया था। B ने इस आधार पर A द्वारा माध्यस्थम हेतु किए गए अनुरोध को ठुकरा दिया था क्योंकि माध्यस्थम खण्ड में मध्यस्थों की समान संख्या का उपबन्ध था, यह एक अवैध खण्ड था तथा उस नए अधिनियम की धारा 10 की दृष्टि से प्रभावी नहीं किया जा सकता था जिसमें एकमात्र या विषम संख्यक मध्यस्थों का उपबन्ध किया गया था।

व्याख्या कीजिए कि क्या ऐसी परिस्थितियों में A तथा B के बीच विधिमान्य माध्यस्थम खण्ड था, यदि हाँ तो क्यों? अपने प्रतिवाद की पुष्टि तर्कों और निर्णय विधि से कीजिए।

(a) Discuss the law laid down in Bhatia International
 Vs. Bulk Trading S.A., AIR 2002 SC 1432 in regard
 to application for interim measures under Section 9

of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 when the place of arbitration is out of India and an application for interim measures under Section 9 is moved before the court of India.

- (b) The main attraction of conciliation is the 'confidentiality' of proceedings. How is it maintained during and after the proceedings?
- (a) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अन्तर्गत अंतरिम उपायों हेतु अर्जी के बारे में भाटिया इन्टरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस ए., ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1432 में अधिकथित विधि का विवेचन कीजिए जब माध्यस्थम स्थल भारत के बाहर है तथा धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों हेतु अर्जी भारत के न्यायालय में फाइल की गयी है।
- (b) सुलह का प्रमुख आकर्षण कार्यवाहियों की 'गोपनीयता' होती है। कार्यवाहियों के दौरान और बाद में इसको किस तरह बनाये रखा जाता है?
- 7. (a) What is the meaning of 'Foreign Award' as per Geneva Convenion. On what grounds the court suomotu refuse to enforce the foreign awards?

- (b) Explain whether the power of appointment of arbitrator under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 is 'judicial' or 'administrative' in nature with the help of case law.
- (a) जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार विदेशी पंचाट का क्या अर्थ है? न्यायालय किस आधार पर स्वप्रेरणा से विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन से इनकार कर देता है?
- (b) निर्णय विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि क्या माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति न्यायिक प्रकृति की होती है या प्रशासनिक प्रकृति की।
- 8. Write short notes on any three of the following: 20
  - (a) Define 'Public Policy' in context of Section 34.
  - (b) Define International Commercial Arbitration.
  - (c) Waiver of right to object.
  - (d) Appealable orders.
  - (e) Can the question regarding winding up of the company be referred to an arbitrator?

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) धारा 34 के प्रसंग में लोक नीति को परिभाषित की जिए।
- (b) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को परिभाषित कीजिए।
- (c) आपत्ति के अधिकार का अधित्यजन।
- (d) अपीलयोग्य आदेश।
- (e) क्या कम्पनी के परिसमापन के बारे में प्रश्न को किसी मध्यस्थ को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है?